

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20.11.

सुखराम मलवीय

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुखराम मलवीय
नगरपालिका २००११५

2 वर्तमान धारित पद

सदस्य नि

3. वर्तमान वेतन 18,563/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख अक्टूबर 2012

उस जिले, उपसभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई को उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम पंचायत का.प.प.क. मलवीय सुखराम जिला-शांशाह	नि	10 बिघा जमीन पितानी की कृष्ण अरान्त सिली इ। जमीन पितानी के नाम पर धारित	20 लाख	स्वयं	पैसुक हिलेस कांटा से प्राप्त	20 हजार मास	

• जहां लगू न हो कार्रवाई न करें।

• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिवॉल्यू के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

• इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उस विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम सुखराम मलवीय
पर सुखराम नि